जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 27.03.2025

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* वारण्टी नाम पता गगन यादव पुत्र सुरेल निवासी गागरगाड़ थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री सचिन्द्र नाथ राय, उ0नि0 श्री जयप्रकाश कुशवाहा, हे0का0 सोनू पटेल, हे0का0 बदरे आलम।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 16 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 09 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3303 द्वारा जहर खाये हुए 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी **3303** को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत बड़गो से कालर द्वारा जहर खाये हुए 01 व्यक्ति (1. सुरेन्द्र पुत्र रामवृक्ष ग्राम बड़गो थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया गया,सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर जहर खाये व्यक्ति को प्राइवेट वाहन की सहायता से जिला अस्पताल भेजवाया गया तथा दवा इलाज के बाद स्वस्थ स्थिति में पाया गया। घटना के सम्बन्ध मे थाना- को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

***पीआरवी स्टाफ-* आ0 रामजी शाह, हो0चा0 राजकिशोर।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 140 वाहनों से 1,36,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 27.03.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 140 वाहनों से 1,36,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप महिला के साथ छेड़खानी के मामले में 01 अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 5000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्गित संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 27.03.2025 को ***माननीय न्यायालय एएसजे/पाक्सो एक्ट जनपद संतकबीरनग*** के द्वारा 01 अभियुक्त को 03 वर्ष कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 63/2017 धारा 323/354/504/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता हरिचन्द्र पुत्र मोती लाल निवासी बौरव्यास थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को दोषसिद्दि के आधार पर अभियुक्त हरिचन्द्र को धारा 354 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास तथा धारा 323 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। धारा 7/8 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास से भुगतना होगा। सभी सजाए साथ-साथ चलेगी।